



राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/>
e-mail: jdpi.cce@gmail.com Ph.: 0141-2706736 (0);

क्रमांक: एफ4 (453)आकाशि/नि.सं./2010/778

दिनांक- 18-04-2022

आदेश

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 तथा तत्संबंधी नियम, 1993 एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अद्यतन निजी महाविद्यालय नीति के अन्तर्गत सत्र 2021-22 (एक सत्र) के लिए स्नातकोत्तर स्तर पर पूर्व संचालित विषयों में अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र अनिवृद्धि निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृत की जाती है-

संचालक संस्था	महाविद्यालय का नाम	संबद्ध विश्वविद्यालय	पूर्व संचालित विषय
श्री रामेश्वरलाल शर्मा ग्रामीण विकास एयम् अनुसंधान संस्थान, धिडावा, झुन्झुनु।	श्रीमती पाना देवी रामेश्वरलाल शर्मा महाविद्यालय, अड्डूका, धिडावा, झुन्झुनु।	पण्डित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।	स्नातकोत्तर स्तर पर भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान। (एम.ए.) रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, भौतिक शास्त्र। (एम.एस.सी.)

1. संस्था प्रत्येक सत्र में निरीक्षण करवाने हेतु नियमानुसार निर्धारित शुल्क जमा करवाकर ऑनलाइन प्रपत्र प्रस्तुत करेगी।
2. संस्था सत्र 2022-23 में निर्धारित अवधि में नियमानुसार स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करेगी।
3. संस्था द्वारा सावधि जमा राशि (एफ.डी.आर.) का प्रत्येक 5 वर्ष में तद्विनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
4. आवश्यकतानुसार आयुक्तालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा एवं संस्था अधिकृत अधिकारी द्वारा चाहा गया अभिलेख उपलब्ध करायेगी।
5. संस्था को समय-समय पर यू.जी.सी./राज्य सरकार/आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी।
6. संस्था संबन्धित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करेगी तथा विधि महाविद्यालय के प्रकरण में पीठरी/आई० से मान्यता व विश्वविद्यालय से संबद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी। तत्पश्चात् ही विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाये।
7. संस्था संकाय व विषयवार सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त कर, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग को सूचित करेगी तथा महाविद्यालय तदनुसार तय सख्या सीमा में ही प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित करेगी।
8. संस्था महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यू.जी.सी. अर्हताधारी प्राचार्य एवं व्यवस्थापकों तथा निर्धारित मानदण्डानुसार अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति के साथ-2 अन्य निर्धारित शर्तों की पालना करेगी।
9. राज्य सरकार की महाविद्यालय प्रवेश नीति 2021-22 तथा बाद में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा।
10. संस्था प्रति वर्ष विभाग के NOC पोर्टल पर आवश्यक सांख्यिकी एवं महाविद्यालय की सूचनाएँ निर्धारित अवधि में भरकर अपलोड करेगी।
11. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेबपोर्टल www.aishenic.in पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF-II (Data Capture format-II) भरकर अपलोड करना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय अपलोडेड प्रमाण-पत्र की हार्ड कॉपी आवश्यकतानुसार आयुक्तालय में प्रस्तुत करेगी।
12. संस्था स्थायी अनापत्ति प्रमाण-पत्र संबंधी समस्त अद्यतन मापदण्डों की पूर्ति करना सुनिश्चित करें अन्यथा सत्र 2022-23 से संस्था का उक्त विषय/संकाय का अनापत्ति प्रमाण-पत्र क्रमिक रूप से निरस्त कर दिया जायेगा। अनापत्ति प्रमाण-पत्र के अभाव में सत्र 2022-23 से उक्त विषय/संकाय में नवीन प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा। अनापत्ति प्रमाण-पत्र के अभाव में दिये गये नवीन प्रवेश की समस्त जिम्मेदारी महाविद्यालय की होगी। विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय में उक्त विषय/संकाय में प्रवेशित नवीन विद्यार्थियों को अनियमित किये जाने से होने वाले वैधानिक प्रकरणों का उत्तरदायित्व भी संस्था का होगा।

उपर्युक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया जायेगा।

आयुक्त,

कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. विशिष्ट सहायक, गा० उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. जिला कलेक्टर, झुन्झुनु।
5. कुल सचिव, पण्डित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।
6. सचिव, संबन्धित महाविद्यालय।
7. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली।

21-3/8

संयुक्त-निदेशक (नि०स०)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर